ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/टीए/3139/2004/गंगानगर अमरसिंह बनाम भगवान कौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री हरी शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांक 14–01–2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 08/2000 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 01–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1/वादिनी भगवान कौर पुत्री श्री भागसिंह बेवा हरनामसिंह ने एक वाद उप जिला कलक्टर, श्रीकरणपुर के न्यायालय में अधिनियम की धारा 53 व 183 का विवादित आराजी बाबत् पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी सं0 4 अक्को ने इकबाली जवाब दावा पेश किया एवं प्रतिवादी सं0 3,5,6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने जवाबदावा पेश किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–09–97 द्वारा

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/टीए/3139/2004/गंगानगर अमरसिंह बनाम भगवान कौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राथमिक डिक्री जारी की व दिनांक 30–03–99 को वाद अंतिम रूप से डिक्री किया गया। तत्पश्चात् भगवान कौर ने एक प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर संबंधित पक्षकारों को तलबी हेतु अखबार में छाया करवाया गया, जो हाजिर नहीं हुए, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी/वादिनी के अधिवक्ता की बहस सुनकर उक्त प्रा0 पत्र को आदेश दिनांक 22–02–2000 द्वारा स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील सं0 8/2000 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01–07–2004 द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई हैं। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का घ्यानपूर्वक अध्ययन किया। वर्तमान द्वितीय अपील में विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में वादी के हिस्से का राजस्व अभिलेख में अंकन के आधार पर निर्धारण किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा अपील में सुनवाई का अवसर नहीं दिए जाने एवं पंजीकृत दस्तबरदारी को नहीं देखे जाने का आधार लिया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख के आधार पर प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने का जो निश्कर्ष अंकित किया है वह पूर्णतया उपयुक्त है। वादिया	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/टीए/3139/2004/गंगानगर अमरसिंह बनाम भगवान कौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को राजस्व अभिलेख में उसके नाम दर्ज हिस्से की डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई है जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यथावत रखा है। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः हम द्वितीय अपील खारिज किया जाना उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01–07–2004 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हरी शंकर गोयल) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	